न्यायालय उपखण्डाधिकारी सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी का नाम :– हवाई सिंह यादव (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 825/ 2019

प्रमोद कुमार पुत्र इमीलाल जाति जाट निवासी 16 पी टी पी ढाणी तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

वादी

बनाम

1 इमीलाल पुत्र काशीराम जाति जाट निवासी 16 पी टी पी ढाणी तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

2 कौशल्या पुत्री इमीलाल पत्नी राजीव जाति जाट निवासी रावतसर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ

3 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) सादुलशहर

प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित विद्वान अधिवक्तागण :–

1 श्री रामकुमार सिहाग, राकेश सिहाग अधिवक्ता (वादी)

2 श्री रजनीकान्त अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 1 ता 2

3 राजपैरोकार वास्ते स्टेट

निर्णय दिनांक :– 02/12/19

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने प्रतिवादीगण के विरूद्व अन्तर्गत 88 आर.टी.ए. के तहत इस न्यायालय में इन अभिकथनों के साथ प्रस्तुत किया कि चक 16 पी टी पी जमाबदी सम्वत 2071–2074 खाता संख्या 6/6 प.न. 112/152 मु.न. 36 कि.न. 16,24,25 में 0.759 है.नहरी मय खाला, प.न. 112/153 मु.न. 43 कि.न. 3, 4, 5 मे 0. 759 है.नहरी, कुल खाता 1.518 है. नहरी मय गे.मु. रासता, खाला आराजी प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज कागजात माल है।चक 16 पी टी पी जमाबदी समवत 2071–2074 खाता सख्या 9/27 प.न. 112/151 मु.न. 35 कि.न. 21 में 0.253 है. नहरी, प.न. 112/152 मु.न. 36 कि.न. 1, 2 में 0.506 है कुल खाता 0.759 है. नहरी आराजी प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज कागजात माल है एवं इसी चक के खाता 8/14 प.न. 112/146 मु.न. 12 कि.न. 21, 22/1 में 0.317 है. नहरी, प.न. 112/147 मु.न. 19 कि.न. 1 ता 6, 7/1 में 1.644 है. नहरी कुल खाता 1.961 है. आराजी प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज कागजात माल है। नकल जमाबदी संलग्न वाद पत्र है। वादाधीन प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज आराजी प्रतिवादी संख्या 1 को अपने पिता से प्राप्त हुयी है एव सहदायिकी सम्पति है जो कि वादी एव प्रतिवादीगण हिन्दू है एव हिन्दू विधि के मिताक्षरा स्कूल से शासित है जहां प्रतयेक सन्तान को सहदायिकी सम्पति में जन्म से ही कानूनन हक व हिस्सा बनता है जो कि वादी प्रतिवादी संख्या 1 का पुत्र है एव प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज विरासतन भूमि में वादी को जन्म से ही कानूनन हक व हिस्सा बनता है। वादी एव प्रतिवादीगण के मध्य वादाधीन आराजी का पारिवारिक बंटवारा हो चूकाहै एव प्रतिवादी संख्या 2 की शादी अच्छे खानदान में उसके हक हिस्सा को ध्यान में रखते हुये दान दहेज देकर की हुयी है जिससे खुश

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
सादुलशहर

Scanned by CamScanner

होकर प्रतिवादी संख्या 2 ने अपने हक हिस्सा की आराजी को वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 के हक में छोड़ दिया है एव वादी एव प्रतिवादीगण के मध्य हुये पारिवारिक बंटवारानूसार वादी को प्रतिवादी संख्या 2 के नाम दर्ज दावा की मद संख्या 2 में दर्ज आराजी प्राप्त हुयी है जिस पर वादी मुताबिक पारिवारिक बंटवारानूसार काबिज होकर काश्त करता आ रहा है। वादी के हक हिस्सा एव कब्जा काश्त की मुताबिक पारिवारिक बंटवारानूसार प्राप्त आराजी राजस्व रिकॉर्ड में वादी के नाम मुताबिक पारिवारिक बंटवारानूसार दर्ज रिकॉर्ड नही होने के कारण वादी को पानी की बारी रकम अदायगी बैंक ऋण व अन्य सरकारी सुविधाओं का लाभ लेने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है एव आराजी राजस्व रिकॉर्ड में मुताबिक बंटवारानुसार दर्ज रिकॉर्ड नही होने के कारण वादी को अपने हक हिस्सा की आराजी से हमेशा बेदखल किये जाने का अंदेशा लगा रहता है जिस कारण वादी अपने हक हिस्सा की आराजी को मन लगाकर काश्त कर पाने में असमर्थ है इसलिए वादी अपने हक हिस्सा एव कब्जा काश्त आराजी की खातेदारी घोषणा प्राप्त करने का कानूनन हक अधिकारी है। वगैरा–वगैरा।

लिहाजा वाद वादी मय शपथ पत्र दो प्रतियों में पेश कर निवेदन है कि चक 16 पी टी पी जमाबदी सम्वत 2071–2074 खाता संख्या 6/6 प.न. 112/152 मु. न. 36 कि.न. 16,24,25 में 0.759 है.नहरी मय खाला, प.न. 112/153 मु.न. 43 कि.न. 3, 4, 5 मे 0.759 है.नहरी, कुल खाता 1.518 है. नहरी मय गै.मु. रासता, खाला आराजी का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे एव उक्त खाता से प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जावे।

वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 ने जरिये वकील उपस्थित होकर इकबाल दावा पेश कर वाद वादी स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। जवाब स्टेट पेश हुआ , राज्यहित को ध्यान में रखते हुये वाद वादी स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

बहस सुनी गयी। दौराने बहस वकील वादी ने मुताबिक पारिवारिक बंटवारा वाद पत्र डिक्री किये जाने का निवेदन किया। वकील प्रतिवादीगण ने वादी के कथनों में अपनी सहमति प्रकट की, एव वाद वादी स्वीकार किये जाने का निवेदन किया । पत्रावली का अवलोकन किया गया, वादी एव प्रतिवादी के मध्य पारिवारिक बंटवारा हुआ है, वादी एव प्रतिवादीगण एक ही परिवार के सदस्य है एवं मुताबिक पारिवारिक बंटवारा वादी एव प्रतिवादी ने एक दूसरे की कब्जा काश्त को स्वीकार किया है, वादाधीन आराजी संयुक्त परिवार की सम्पति है, एव उक्त आराजी के अलावा भी प्रतिवादी के पास अन्य खातों में आराजी है जिसका बंटवारा होकर एव अपने अपने हक हिस्सा में होना सभी पक्षकारान ने स्वीकार किया है। वादी द्वारा सहदायिकी सम्पति में घोषणा की मांग की है ,एव वादी के कथनों के सम्बध में प्रतिवादीगण ने कोई विरोध नही किया है, इस प्रकार' वादी ने अपने दावा को दस्तावेजी साक्ष्यों, ईकबाल कथनों व बहस के आधार पर बखूबी साबित किया है एवं वाद वादी स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाना न्यायोचित है।

उपखण्ड अधिकारी ([illegible])
[illegible]

Scanned by CamScanner

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है तथा तहसीलदार (राजस्व) सादुलशहर को आदेशित किया जाता है कि :– प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज चक 16 पी टी पी जमाबदी सम्वत 2071–2074 खाता संख्या 6/6 प.न. 112/152 मु.न. 36 कि.न. 16,24,25 में 0.759 है.नहरी मय खाला, प.न. 112/153 मु. न. 43 कि.न. 3, 4, 5 मे 0.759 है.नहरी, कुल खाता 1.518 है. नहरी मय गै.मु. रास्ता, खाला आराजी का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं उक्त खाता से प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाता है। उक्तानुसार ही वादी के नाम राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। उक्तानुसार ही पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 02/12/19 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

2/12/19

हवाई सिंह यादव (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
सादुलशहर

Scanned by CamScanner

संख्याक–01

मूल वाद में डिक्री (आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्डाधिकारी सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी का नाम :– हवाई सिंह यादव (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 825 / 2019

प्रमोद कुमार पुत्र इमीलाल जाति जाट निवासी 16 पी टी पी ढाणी तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

वादी

बनाम

1 इमीलाल पुत्र काशीराम जाति जाट निवासी 16 पी टी पी ढाणी तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

2 कौशल्या पुत्री इमीलाल पत्नी राजीव जाति जाट निवासी रावतसर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ

3 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) सादुलशहर

प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

डिक्री

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ हवाई सिंह यादव वास्ते इनफिसाल कत्तई रोबरू हमारे बहाजरी श्री रामकुमार सिहाग, राकेश सिहाग वकील वादी मिन जामिन मुद्दई श्री रजनीकान्त वकील प्रतिवादीगण मिन जानिब मुद्दायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व वाद वादी स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है तहसीलदार (राजस्व) सादुलशहर को आदेशित किया जाता है कि:– प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज चक 16 पी टी पी जमाबदी सम्वत 2071–2074 खाता संख्या 6/6 प.न. 112/152 मु.न. 36 कि.न. 16,24,25 में 0.759 है.नहरी मय खाला, प.न. 112/153 मु.न. 43 कि.न. 3, 4, 5 मे 0.759 है.नहरी, कुल खाता 1.518 है. नहरी मय गे.मु. रासता, खाला आराजी का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं उक्त खाता से प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाता है। उक्तानूसार ही वादी के नाम राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। बसख्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 02/12/19 को जारी किया गया।

हवाई सिंह यादव (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
सादुलशहर

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Hawai Singh Yadav
Date: 2020.01.14 15:38:02 IST
Reason: SelfAttested
Location: